

राजस्थान सरकार  
 न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प खेडलिया

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता 'दुरस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खेडलिया व भूअ.नि. महुआरुद की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत् १०७३-७६ में खाता संख्या ७१ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जातें हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
१	लक्ष्मीपुरा	७१	भागीरथ पि० नन्द माली	उगमा नारायण पि० भागीरथ जमनी गंगा पुत्री भागीरथ नन्दू पालि भागीरथ ६ भीरु निशान गट्टू ठमू सायरी बीना लाड गमान महीमा पि० देवीलाल राजूदेवी पालि देवीलाल ६ माली

(रतनलाल रेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट  
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)  
 बनेडा जिला - भीलवाडा

दिनांक :- ५/८/१८

क्रमांक :- ६२१ / १८

प्रतिलिपि :-

१. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
२. प्रार्थी श्री देवीलाल उगमा नारायण पि० को सूचनार्थ।
३. रक्षित पत्रावली भागीरथ माली

(रतनलाल रेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट  
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)  
 बनेडा जिला - भीलवाडा